



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-95

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 154652 दिनांक 29/09/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	BIDHAN CHANDRA DEY S/o Badal Dey	श्रीमती बाबूडी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय	66		Cooperative	PARVATI NAGAR EXTENSION Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta)	भूखण्ड का सहकारी समिति द्वारा दिनांक 10.05.96 को श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री जयनारायण सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज का आवंटन किया गया है। कार्यालय में उपलब्ध योजना की सदस्यता सूची भूखण्ड संख्या 66 पर श्रीमती बाबूडी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय का नाम अंकित है। पार्वती नगर विस्तार विकास समिति (भाकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री जयनारायण सिंह द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2020 को आवेदक श्री बिधन चन्द्र डे पुत्र श्री बादल डे के पक्ष में बैचान किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. BIDHAN CHANDRA DEY S/o Badal Dey को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |